



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2015/माघ 3, 1936

No. 156]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2015 /MAGHA 3, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2015

का.आ. 222(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना सं. का.आ. 275 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2012 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

और जबकि, मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित भोपाल से ब्यावरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 के विकास के लिए 30 सितम्बर, 2009 को केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

और जबकि, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से कार्यान्वयन प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आदेश सं. 5595/6502/19/यो./2011 दिनांक 18.10.2011 के तहत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लि., भोपाल (जो इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में उल्लिखित है) को अधिकृत किया था।

और जबकि, प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश राज्य में डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 के किमी 316.100 से किमी 423.400 [डिजाइन लंबाई 105.60 किमी] तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 के भोपाल से ब्यावरा खंड (जो इसके आगे "कथित खंड" के रूप में उल्लिखित है) के विकास एवं प्रचालन के लिए दिनांक 05.09.2011 को प्रस्तुत निविदा के लिए मै. ट्रांसट्रॉय भोपाल ब्यावरा टोलवेज प्रा. लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय # 8-3-833, मेन रोड, कटनापुरी कालोनी, हैदराबाद है (जो इसके आगे "रियायतग्राही" के रूप में उल्लिखित है) के साथ 14.02.2012 को एक करार (जो इसके आगे "करार" के रूप में उल्लिखित है), किया है।

अतः अब, बोली प्राप्ति की तारीख तक यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसके आगे "नियम" के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, कथित खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, यथोचित प्रतिलाभ, यातायात की मात्रा तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच संपन्न करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि कथित खंड का प्रयोग करने के लिए यांत्रिक वाहन पर 105.60 किमी की लंबाई वाले निबल सड़क खंड के लिए 4 और अधिक लेन वाले खंडों के प्रयोग हेतु तालिका-1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) तथा नीचे तालिका-1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों की किस्मों पर, उक्त रियायतग्राही को,

प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख से और यथा-स्थिति प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर अथवा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर करार में यथा-विनिर्दिष्ट करार समापन की तारीख तक, इसमें से जो भी बाद में हो, शुल्क का संग्रहण करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु-धुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत फीस पथकर प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और भुगतान योग्य होगी:-

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है।	दर, जिस पर फीस संदेय है।
रारा-12 पर विद्यमान चैनेज किमी 336.100 (डिजाइन चैनेज 335.200) (सिहोर जिले में सोनकाछ गांव के निकट)	54.60	आधार दर का 100%
रारा-12 पर विद्यमान चैनेज किमी 420.200 (डिजाइन चैनेज 418.500) (राजगढ़ जिले में कचनरिया गांव के निकट)	51.00	आधार दर का 100%

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2014-15 के लिए 225.00 रु. (दो सौ पच्चीस रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

भुगतान योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	भुगतान की तारीख से एक महीना

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. किसी श्रेणी विशेष के लिए विनिर्दिष्ट अनुमत्य भार से अधिक भार वाले यांत्रिक वाहन के चालक अथवा स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए पथकर संग्रहण एजेंसी को उस श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू फीस की 10 गुना के बराबर फीस का भुगतान करना होगा और इस यांत्रिक वाहन से अतिभार को उतारे बिना वह उस राजमार्ग खंड का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

7. फीस की दरें कथित नियमावली के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

8. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि तालिका-1 में यथा-संशोधित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहन से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक राशि और छूट का आकलन प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग परियोजना की लंबाई के पूरे हुए भाग के आधार पर किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा इसे रियायतग्राही के माध्यम से प्रत्येक अंग्रेजी और

देशी भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् कथित नियमों के नियम 5 और रियायत करार के उपबंध के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित कराया और प्रकाशित कराया जाएगा बशर्ते कि फीस के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 महीनों की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37016/6/2014-एनएचडीपी-IVए]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2015

S.O. 222(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 275 (E) dated 14th February, 2012 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted National Highway No. 12 in the State of Madhya Pradesh to the State Government of Madhya Pradesh.

And whereas, a Memorandum of Understanding was entered between Central Government and the State Government of Madhya Pradesh on September 30, 2009 for the development of National Highway No. 12 from Bhopal to Biaora situated in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, the State Government of Madhya Pradesh authorized Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited, Bhopal (hereinafter referred to as the “Authority”) to act as implementing authority on behalf of the State Government of Madhya Pradesh vide order No. 5595/6502/19/यो./2011 dated 18.10.2011.

And whereas, the Authority has entered into an Agreement on 14.02.2012 (hereinafter referred to as said “Agreement”) with M/s Transstroy Bhopal Biaora Tollways Private Limited, having its Registered Office at #8-3-833, Main Road, Katnapuri Colony, Hyderabad (hereinafter referred to as “Concessionaire”), for the bid submitted on 05.09.2011 for the development & operation of Bhopal-Biaora Section of NH-12 from km 316.100 to km 423.400 [Design length 105.60 km] (hereinafter referred to as the “said section”) in the State of Madhya Pradesh on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended up to the date of receipt of bid, (herein referred to as the “Rules”), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section of 105.60 km length for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) on the Types of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fees on and from the date of commercial operation dated (COD) declared by the Authority and on getting the completion certificate or the provisional completion certificate as the case may be from the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the Agreement;

TABLE 1

Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (In Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle Commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plazas:

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which the fee is payable
Existing Chainage km 336.100 (Design Chainage 335.200) on NH-12 (near village Sonkach in Sehore District)	54.60	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Existing Chainage km 420.200 (Design Chainage 418.500) on NH-12 (near village Kachnariya in Rajgarh District)	51.00	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highway Fee (determination of Rates and collection) Rules, 2008.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.

8. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the project Highway. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No. RW/NH-37016/6/2014-NHDP-IVA]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.